Ex.P.-70

कथन – बृजेश शर्मा

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	बृजेश शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा
उम्र	–	34 वर्ष
पता	–	नया खुर्सीपार, बाबा स्वीट्स के पास, भिलाई, थाना खुसीपार जिला दुर्ग (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94063–77077
व्यवसाय	–	संचालक, श्री राम ट्रेडर्स फुण्डा एवं मित्तल ट्रेडिंग कंपनी भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0)

––0––

मैं बृजेश शर्मा पूछने पर बता रहा हूं कि मैं राईस मिल किराये पर लेकर संचालित करता था। श्रीराम ट्रेडर्स फून्डा एवं मित्तल ट्रेडिंग कंपनी भिलाई को किराये पर लेकर संचालन करता रहा हूं। नागरिक आपूर्ति निगम के चावल उपार्जन केन्द्रों में कष्टम मिलिंग का चावल जमा करने के दौरान मानसिक एवं आर्थिक रूप से काफी प्रताडित किया जाता रहा हूं। इनके द्वारा खरीद सीजन के शुरूवात में एक बड़े होटल में राईस मिलर्स एसोसियेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों का एक गेट–टू–गेदर पार्टी रखा जाता था। इस वर्ष जगदम्बा राईस मिल चिखली दुर्ग में गेट–टु–गेदर पार्टी रखा गया था। जिसमें पूरे वर्ष में चावल उपार्जन कार्यक्रम में विभिन्न चरणों में कितनी कितनी राशि किस किस स्तर पर दी जानी है एवं प्रति टन कितनी राशि एकत्रित होनी है तय किया गया था। इस वर्ष प्रति लाट 2500रू. तथा गोदाम में खाली कराने वाले को 500रू. देना तय हुआ था। हमारे द्वारा अपने ट्रकों से चावल नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा करने हेतु ले जाया जाता था जिसमें चौकीदार से लेकर क्वालिटी इंस्पेक्टर तक सभी को तय अनुसार रिश्वत दिया जाता था जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर की राशि 150रू. प्रति टन, गोदाम प्रभारी को 50रू. टन, हमालों को 3रू. पैकेट हमाली, चौकीदार को 200रू, कट ओपन करने वाले को 200रू. इस प्रकार कुल 200रू. से 250रू. प्रति टन दिया जाने के बाद में ही चावल स्वीकार किया जाता था। हमारे द्वारा पैसा दिये जाने से इन्कार करने पर नान के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा चावल लेकर गोदाम जाने पर हमाल लेट से एलाट करते थे जिससे चावल चोरी की संभावना तथा गाड़ी के लेट होने पर खर्चा बड़ जाता था। चावल को गोदाम के परछी में खाली कराते उसके बाद सेम्पल लेट से लेना एवं सेम्पल को फेल कर देना पैकेट में 300 ग्राम से ज्यादा चावल कम आने पर लाट को फैल कर देते थे । कुछ बोरों को जानबूझकर कम तौला जाता था तथा कम्पलीट होने पर कागज में हस्ताक्षर लेट से करते थे। इस तरह से विभिन्न चरणों में इस प्रकार से परेशान किया जाता था। चावलों को मूलतः वापस कर दिया जाता था जिसे वापस लाने में हमे कम से कम 500रू. प्रति टन का खर्चा

आता था हमारी व्यवसाय की मजबूरी और परेशानी के कारण उक्त सिस्टम को फालो करना हमारी व्यवसायिक मजबूरी थीं। इनको पैसा नहीं दिये जाने पर चावल को 25 प्रतिशत ब्रोकन से अधिक का बताकर वापस कर दिया जाता था जबकि हमारे मिल से हमारे द्वारा चावल की जांच कर 24 प्रतिशत ब्रोकन का ही चावल भेजा जाता था। चूकि चावल परीक्षण करने का अधिकार सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास है इसका अवैध लाभ लेकर दबाव बनाकर तय अनुसार रिश्वत की मांग की जाती रहीं है यदि हम उक्त रिश्वत की राशि का भुगतान नहीं करते थे तो हमारे स्टाक में चावल लोडिंग–अनलोडिंग, वेट लॉस, चोरी से भय, मौसम से नुकसान एवं चावल लाने लेजाने के परिवहन में जो कि 500रू. प्रति टन तक का नुकसान होता था एवं गोदामों में जगह भर जाने के बाद में पुनः चावल लेने के लिये जगह बनाने हेतु 100रू से 150रू. प्रति टन लिया जाता था। गोदाम में जगह नहीं होने पर जगह बनाने के लिये 10 से 15रू. प्रति क्विटल के हिसाब से पैसा लेने के बाद बेमेतरा, बालोद, नांदगांव व अन्य जगह चावल भेजकर एल.आर.टी.(लॉग रूट ट्रांसपोटिंग) के माध्यम से जगह बनाई जाती थी। जिनका भुगतान करना पड़ता एवं शासन की योजना अनुसार पहले चावल देने के बाद ही हमें धान प्रदाय किया जाता था आगे हमारे राईस मिल को चलाये जाने हेतु उक्त स्टाक को पास करवाकर स्वीकृति पत्रक तैयार करवाकर डिलवरी आर्डर बनवाना एवं धान उठाना हमारी सबसे बड़ी मजबूरिया है। हम लोग के द्वारा तैयार पतला चावल को ग्रेट ए में 6 प्रतिशत तक कनकी तथा मोटा चावल को कामन ग्रेट में 15 से 20 प्रतिशत कनकी रहता है। तैयार चावल में कनकी ज्यादा है कहकर परेशान कर रिश्वत के रूप में पैसा मांग की जाती है। इस कारण मजबूर होकर हमें प्रति टन 250रू. राशि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी जिला प्रबंधक को भुगतान करनी पड़ती है। हमें उसी विभाग से संबंध बनाकर राईस मिल चलाकर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करना है। इसलिये कोई भी राईस मीलर व्यापारी जिनके खिलाफ किसी प्रकार का बयान बाजी या कार्यवाही करने से हिचकिचाते है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 04.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ